विवरण 46: बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझाव पर ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अंतर्गत पात्र राज्यों द्वारा प्राप्त ऋण / ब्याज राहत

(30 अगस्त 2007 को)

(करोड़ रुपए)

राज्य	ऋण समेकन	2005-06		2006-07	
		ऋण राहत	ब्याज राहत	ऋण राहत	ब्याज राहत
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	14,062	483	553	703	527
2. अरुणाचल प्रदेश	404	–	17	20	16
3. असम	2,108	–	72	–	50
4. बिहार	7,699	–	306	–	284
5. छत्तीसगढ़	1,865	93	71	93	66
6. गोवा * #	404	–	–	20	17
7. गुजरात	9,437	316	378	472	357
8. हरियाणा	1,933	97	77	–	69
9. हिमाचल प्रदेश	906	27	37	45	34
10. जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–
11. झारखंड	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	7,166	358	292	358	276
13. केरल	4,177	–	168	–	156
14. मध्य प्रदेश	7,261	363	288	363	273
15. महाराष्ट्र	6,799	–	271	340	237
16. मणिपुर	751	38	30	38	17
17. मेघालय #	298	–	–	15	12
18. मिजोरम #	259	–	–	13	11
19. नागालैंड	317	–	13	16	12
20. उड़ीसा	7,638	382	314	382	197
21. पंजाब $	3,068	64	131	68	134
22. राजस्थान	6,174	309	224	309	195
23. सिक्किम	–	–	–	–	–
24. तमिलनाडु	5,266	263	213	263	195
25. त्रिपुरा	445	22	19	–	18
26. उत्तराखंड	262	–	7	13	6
27. उत्तर प्रदेश	21,278	1,064	910	1,064	836
28. प. बंगाल	–	–	–	–	–
सभी राज्य	**1,09,977**	**3,879**	**4,392**	**4,595**	**3,995**

* : संघशासित क्षेत्र होने के पहले की अवधि के 239.22 करोड़ रु. के ऋण को छोड़कर। '–' : लागू नहीं

\# : इन सभी राज्यों ने 2006-07 के दौरान वित्तीय जबाबदेही अधिनियम (एफआरएल) बनाया, इसलिए समेकन 2005-06 से आरंभ किया।

$: 2006-07 के लिए राज्यों का ऋण में छूट पाने का अधिकार 153.39 करोड़ रुपए था। 85.89 करोड़ रुपए का शेष 2007-08 में उपलब्ध कराया जाएगा।

टिप्पणी : 1. छब्बीस राज्यों ने वित्तीय जबाबदेही अधिनियम (एफआरएल) बनाया।
2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के संबंध में केंद्रीय ऋण के समेकन का प्रस्ताव विचाराधीन है।
3. 2005-06 के दौरान चौदह और 2006-07 के दौरान उन्नीस पात्र राज्यों को ऋण राहत प्रदान की गई।

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।